

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम





(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मणपत राम वरीठ बनाम बशीलाः वरीठ

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र हुक्म अवमानना

मुकदमा नम्बर- 51/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	तारीख न तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुये
10.10.2022	<p>प्रार्थीगण की ओर से श्री अनिल यादव एडवो ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र हुक्म अवमानना का पेश किया। प्रार्थना पत्र हुक्म अवमानना दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>दिलीप सिंह</b>                      उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर                 </p>	<p style="text-align: right;"> <i>2234-43/2022</i>  <i>12-10-2022</i> </p>
17-10-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारिस- 84/अनुपस्थित। अतीव अधिकारी शीरे/वक्त कार्य से जमान/नोटिस हैं। पत्रावली अतिव कार्यवाही है। दिनांक 16.11.22 का पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
16-11-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारिस- 84/अनुपस्थित। अतीव अधिकारी शीरे/वक्त कार्य से जमान/नोटिस हैं। पत्रावली अतिव कार्यवाही है। दिनांक 4-1-23 का पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
04.01.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण मय पक्षकार अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थीगण एंव पक्षकार में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थीगण एंव पक्षकार की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र हुक्म अवमानना अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (दिलीप सिंह)                      उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)                      उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर                 </p>	